संख्या- 4/2016/एस-3-11/दस-2016-100(43)/89

प्रेषक,

राज रतन
अनुसचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी ,2015

विषय:-प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या अधि0/21/88/980 दिनांक 17-12-2015 तथा पत्र संख्या अधि0/21/88/929 दिनांक 30-11-2015 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री युग्गी लाल दीक्षित तथा श्री राधेश्याम, सहायक निदेशकगण को उनके संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 01-05-2015, 20-11-2015,तथा 27-11-2015 (क्रमश:) से उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होने के दिनांक से उपरोक्त अधिकारी को पहले से अनुमन्य विशेष वेतन, संकाय भत्ता, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते आादि देय नही होगें । यदि पूर्व में इस प्रकार का कोई भुगतान किया गया हो तो उसका समायोजन कर लिया जायेगा ।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-63 के "लेखा शीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान-06-अन्य भत्ते" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
अनु सचिव।

संख्या- 4/2016 /एस-3-11(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार लेखा (आाडिट-1) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
4- निदेशक,कोषागार, उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
7- संबंधित अधिकारी ।
8- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।